

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002**

No. F.3(95)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI / 102

Dated: 23/11/ 2018

Notification No. 09/2018– State Tax (Rate)

No. F.3(95)/Fin (Rev-I)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “the said Act”) read with sub-section (3) of section 11 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No.45/2017-State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (63)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/771 dated the 28th November, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Table, -

(a) against serial number 1, -

(i) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -

“Public funded research institution or a University or an Indian Institute of Technology or Indian Institute of Science, Bangalore or a Regional Engineering College, other than a hospital”;

(ii) in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted;

(b) against serial numbers 2 and 4, in column (4), for the words “Department of Scientific and Research”, the words “Department of Scientific and Industrial Research”, shall be substituted.

(2) after the Table, the existing *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“*Explanation 2.* - For the the purposes of this notification, exemption would be in line with the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/96- Customs, dated the 23rd July, 1996, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 303(E), dated the 23rd July, 1996 and is applicable with effect from the 15th November, 2017.”.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi,


(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website



(A.K. Singh)

Dy. Secretary VI (Finance)

Note: The principal notification No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 28th November, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (63)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/771 dated the 28th November, 2017.

अधिसूचना सं0 9/2018- राज्य कर (दर)

सं0फा0 03(95)/वित्त(राज0-1)/2017-18/- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (3) के साथ पठित, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व -1) की अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28 नवम्बर, 2017 सं0फा0 03(63)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VII/771 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,

(1) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, -

(i) कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"सरकार द्वारा वित्त पोषित कोई अनुसंधान संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर या क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो चिकित्सालय से भिन्न हों"

(ii) कॉलम 4 में, "विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 2 और 4 के समक्ष कॉलम (4) में, "विज्ञान और अनुसंधान विभाग" शब्दों के स्थान पर "विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

इस सारणी के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

(2) सारणी के पश्चात, वर्तमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"स्पष्टीकरण 2 - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए दी जाने वाली छूट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/96-सीमा शुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसे सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-11, खंड-3, उप-खंड (1) में प्रकाशित किया गया था, की तर्ज पर ही होगी और यह 15 नवम्बर, 2017 से लागू होगी. "

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए.के. सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेबसाइट ।

(ए० के० सिंह)

उप-सचिव -VI (वित्त)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को सं0फा0 03(63)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/771, दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था ।